महत्वपूर्ण

संख्या– 1209 /XVIII-(2)/10-12(08)/2010

प्रेषक,

डा0 राकेश कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास अनुभाग देहरादूनः दिनांकः 15अक्टूबर, 2010

विषयः–वित्तीय वर्ष 2010–11 में दैवी आपदा से हुई क्षति के लिए राहत कार्यो हेतुएन. सी.सी.एफ. से प्राप्त धनराशि जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखे जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में मानसून अवधि के दौरान अतिवृष्टि के परिणाम स्वरूप जनपदों से प्राप्त क्षति के आंकलन भौगोलिक एवं भूगर्भीय परिस्थितियों, आपदा से प्रभावित जनसंख्या एवं क्षेत्रफल इत्यादि सभी परिस्थितियों एवं कारको का संज्ञान लेते हुए एवं सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों एवं जिलाधिकारियों द्वारा दी गई धनराशि की आवश्यकता पर सम्यक विचारोपरान्त आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण कार्यो हेतु राज्य के समस्त 13 जनपदों के लिये (संलग्नक–1 एवं 2 में उल्लिखित विवरणानुसार) कुल धनराशि **रू0 500.00 करोड़ (रू0 पांच सौ करोड़ मात्र)** आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

1– उपरोक्त स्वीकृत धनराशि एन.सी.सी.एफ. से स्वीकृत है एवं इसका व्यय आपदा राहत निधि के मानकों के अनुरूप ही किया जायेगा। सी.आर.एफ./एन.सी.सी.एफ. गाइड लाईन्स में किसी भी प्रकार का विचलन अनुमन्य नहीं होगा। साथ ही एन.सी.सी. एफ. से स्वीकृत उक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय का लेखा जोखा पृथक से भी रखा जायेगा।

2– कार्यो की प्राथमिकता एवं अति महत्वपूर्ण क्षतियों के पुर्ननिर्माण को शीघ्रता से सम्पन्न कराये जाने के दृष्टि से विभागवार परिसम्पत्तियों में लिये जाने वाले कार्यो/योजनाओं का चिन्हींकरण सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा अविलम्ब कर जिलाधिकारियों को उपलब्ध कराया जायेगा। जिस पर आपदा राहत निधि के मानकों के अनुरूप जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त आदि सक्षम स्तर से स्वीकृतियां निर्गत की जायेगी। विभागवार परिसम्पत्तियों के पुर्ननिर्माण हेतु जनपदवार व विभागवार धनराशि संलग्नक–1 में इंगित की गई है।

इस शासनादेश के संलग्नक–1 में उद्यान, परिवहन एवं पशुपालन विभाग को आवंटित धनराशि अभी आहरित नहीं की जायेगी। इसके लिये पृथक से निदेश किये जायेंगे।

3– जो परिसम्पत्ति आपदा राहत मानकों से आच्छादित है, किन्तु विभागवार आवंटित धनराशि (शासनादेश का संलग्नक–1) में से व्यय नहीं की जा सकती है, उसके लिए जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखी गई धनराशि (शासनादेश का संलग्नक–2) से व्यय/प्रतिपूर्ति की जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि अहेतुक सहायता, गृह अनुदान एवं अनुग्रह अनुदान जैसी अपरिहार्य मदों में धनराशि की आवश्यकता हो तो उसे भी इस धनराशि से व्यय किया जा सकता है एवं यथासमय उसका समायोजन भी करा लिया जाए।

4– जिलास्तर पर योजनाओं के सी.आर.एफ. मानकों के अधीन आच्छादित होने तथा इसके अनुरूप योजनाओं की स्वीकृति हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में या उनके द्वारा नामित न्यूनतम अपर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी। जिसमें दो अधिशासी अभियन्ता स्तर के अधिकारी, एक मुख्य कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी तथा सम्बन्धित विभाग (परिसम्पत्ति का स्वामी) के जनपद में वरिष्ठतम अधिकारी को सम्मिलित किया जाएगा। यह समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि योजना को किसी अन्य योजना में या विभागीय मद से वित्तपोषित न किया गया हो।

5– कार्यो का तहसीलवार पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित उप जिलाधिकारी/तहसीलदार/खण्ड विकास अधिकारी तथा एक या दो तकनीकी अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए तहसील स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन किया जायेगा। इस समिति के माध्यम से कार्यो की फोटोग्राफी एवं बढ़ी योजनाओं की वीडियोंग्राफी भी सुनिश्चित करायी जायेगी।

6– द्वितीय एवं तृतीय किश्त जारी किये जाने से पूर्व उपरोक्त तहसील स्तरीय अनुश्रवण समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षणोपरान्त की गई स्पष्ट संस्तुति को आधार माना जाएगा।

7– कार्यो के चयन, कियान्वयन एवं धनराशि के व्यय में किसी भी प्रकार की अनियमितता को समाप्त किए जाने एवं इस सम्पूर्ण प्रकिया को पारदर्शी व निष्पक्ष रखे जाने हेतु तृतीय पक्ष मूल्यांकन नियोजन विभाग के माध्यम से कराया जायेगा एवं सभी कार्यो में Social Audit की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

8– विभागवार इस मद से स्वीकृत की गयी योजनाओं के लिए किसी भी अन्य मद से या स्रोत से धनराशि नहीं दी गयी है या दी जा रही है। इसका प्रमाण पत्र जिले पर सम्बन्धित विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी द्वारा दिया जाएगा।

9– इस मद से स्वीकृत सभी कार्यो की जिलावार सूची का प्रकाशन समाचार पत्रों के माध्यम से आम जन की सूचना हेतु किया जाएगा तथा इसे वेबसाईट पर भी अपलोड किया जायेगा।

10– कार्य स्वीकृत लागत में पूर्ण कर लिये जायेंगे, और लागत में कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा। कार्य कराते समय वित्तीय नियमों एवं टेण्डर आदि विषयक नियमों का अनुपालन निश्चित रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

11– कार्य प्रारम्भ करने एवं कार्य सम्पन्न होने के पूर्व क्षतिग्रस्त कार्ययोजनाओं की फोटो ली जायेगी। कार्य की सत्यता एवं गुणवत्ता का प्रमाणीकरण जिलाधिकारी /उप जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा। तद्नुसार ही कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर आपदा राहत निधि से निर्मित दिनांक, वर्ष तथा धनराशि सीमेन्ट कॉक्रीट पर अंकित कर दिया जाय।

12– भारत सरकार द्वारा एक स्वतंत्र एजेन्सी से भी जनपदों के कार्यो का निरीक्षण व मूल्यांकन किया जायेगा। अतः जनपद स्तर पर कार्यो में निरीक्षण हेतु जिलाधिकारी द्वारा टीम गठित की जायेगी, जिसके द्वारा कार्य की क्षति, धनराशि के सही उपयोग गुणवत्ता आदि की समीक्षा की जायेगी।

13– जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के साथ प्रत्येक माह की 10 तारीख तक उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रेषित किया जायेगा।

14– वित्तीय वर्ष 2010–11 तक आपदा राहत कोष से जारी समस्त स्वीकृतियों तथा इसके सापेक्ष व्यय/समर्पित धनराशि का लेखा मिलान संबंधित जिलाधिकारी द्वारा महालेखाकार कार्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून में निश्चित रूप से प्रत्येक तीन माह में सुनिश्चित कराया जायेगा।

15– उपरोक्त निर्देशानुसार धनराशि स्वीकृत की जायेगी। आपदा राहत कोष के व्यय हेतु निर्धारित दिशा निर्देशों, समय–समय पर निर्गत शासनादेशों, एवं वित्तीय नियमों/प्रक्रिया का अनुपालन न होने पर संबंधित जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी एवं कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

16– योजनाओं में आपदा राहत कोष के मानकों का अनुपालन, योजनाओं का चयन, आगणनों के तकनीकी परीक्षण, धनराशि का सत्यापन, समयबद्वता, मूल्यांकन, अनुश्रवण, लेखा रख–रखाव एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र आदि के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–891/XVIII-(2)/10-12(17)/07 टी.सी., दिनांक 21 सितम्बर, 2010 की शर्तो एवं इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कर लिया जाएगा।

17– गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या–32-3/2010-NDM-1, दिनांक 28 सितम्बर, 2010 के माध्यम से ''राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि'' व ''राज्य आपदा मोचन निधि'' के गठन एवं संचालन हेतु गाइड लाईन्स जारी की गई है (प्रति संलग्न)। गाइड लाईन्स का अध्ययन कर दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

18– प्रत्येक कार्य का भौतिक सत्यापन किया जाए। प्रत्येक कार्य के कार्य प्रारम्भ से पूर्व एवं बाद के फोटोग्राफ लिए जाए। प्रत्येक प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा अपने प्रशासकीय विभागों के कार्यो के प्रगति की समीक्षा एवं अनुश्रवण नियमित रूप से किया जाएगा।

19– उक्त पर होने वाला व्यय प्रथमतः ''8000–आकस्मिकता निधि–201 समेकित निधि से विनियोजन'' तथा अंततः चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक अनुदान

संख्या–6 के अंतर्गत लेखा शीर्षक 2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–05 आपदा राहत निधि–आयोजनेत्तर 800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें– 0101 राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से व्यय–42– अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

संलग्न–यथोपरिः

भवदीय,

(डा0 राकेश कुमार)
सचिव

वित्त विभाग
रा0आ0निधि संख्या–14/XXVII-1/2010 दिनांक 15 अक्टूबर, 2010
प्रतिलिपि महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून को एक अतिरिक्त प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0 एम.सी. जोशी)
अपर सचिव, वित्त

संख्या– 1201 (1)/XVIII-(2)/10-12(08)/2010 एवं तद्दिनांकः
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2– निजी सचिव, मा. मंत्री, आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड शासन।
3– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– सम्बन्धित प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल।
6– अपर सचिव, वित्त–1, उत्तराखण्ड शासन।
7– समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8– राज्य सूचना अधिकारी, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
9–प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10–बजट अधिकारी, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय उत्तराखण्ड।
11–वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
12–धन आवंटन संबन्धी पत्रावली।
13–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

15/10/17
(संतोष बड़ोनी)
अनु सचिव

शासनादेश संख्या–1209 /XVIII-(2)/10-12(08)/10, दिनांक 15 अक्टूबर, 2010 का संलग्नक–1

क्र. सं.	जनपद का नाम	आवंटित धनराशि का विभागवार विवरण (धनराशि लाख रू0 में)												योग
		लो.नि.वि.	पेयजल	सिंचाई	स्वास्थ्य	शिक्षा	शहरी विकास	उद्यान	ऊर्जा	वन	परिवहन	लघु सिंचाई	पशुपालन	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	पिथौरागढ़	1605.00	475.00	150.00	25.00	112.91	100.00	70.00	25.00	25.00	40.00	40.00	40.00	2707.91
2	चम्पावत	614.00	190.00	80.00	17.00	191.28	50.00	20.00	17.00	20.00	32.00	32.00	32.00	1295.28
3	बागेश्वर	1015.00	350.00	100.00	16.00	79.08	50.00	–	16.00	25.00	34.00	34.00	34.00	1753.08
4	अल्मोड़ा	2280.00	983.00	320.00	25.00	94.72	100.00	09.40	25.00	50.00	40.00	40.00	40.00	4007.12
5	नैनीताल	1899.00	721.00	850.00	25.00	186.86	125.00	65.00	25.00	150.00	40.00	40.00	40.00	4166.86
6	ऊधमसिंह नगर	593.00	60.00	600.00	25.00	71.44	250.00	25.00	25.00	25.00	40.00	40.00	40.00	1794.44
7	देहरादून	1733.10	740.00	450.00	25.00	371.78	350.00	–	25.00	150.00	40.00	40.00	40.00	3964.88
8	हरिद्वार	1803.20	656.00	1500.00	25.00	48.62	350.00	42.00	25.00	100.00	40.00	40.00	40.00	4669.82
9	टिहरी गढ़वाल	1686.70	780.00	300.00	25.00	209.97	150.00	15.00	25.00	30.00	40.00	40.00	40.00	3341.67
10	पौड़ी गढ़वाल	2668.40	1125.00	100.00	25.00	480.09	125.00	21.80	25.00	200.00	40.00	40.00	40.00	4890.29
11	रूद्रप्रयाग	655.70	370.00	200.00	17.00	51.35	50.00	98.00	17.00	25.00	34.00	34.00	34.00	1586.05
12	उत्तरकाशी	2034.10	570.00	250.00	25.00	101.89	150.00	–	25.00	100.00	40.00	40.00	40.00	3375.99
13	चमोली	1412.80	480.00	100.00	25.00	–	150.00	133.80	25.00	100.00	40.00	40.00	40.00	2456.60
	योग	20000.00	7500.00	5000.00	300.00	2000.00	2000.00	500.00	300.00	1000.00	500.00	500.00	500.00	40100.00

(रू0 चार सौ एक करोड़ मात्र)

(डा0 राकेश कुमार)
सचिव

शासनादेश संख्या–1209/XVIII-(2)/10-12(08)/2010 दिनांक 15 अक्टूबर 2010 का

संलग्नक–2

क.सं.	जनपद का नाम	स्वीकृत धनराशि (लाख में)
1	2	3
1	नैनीताल	800.00
2	पिथौरागढ़	800.00
3	देहरादून	700.00
4	हरिद्वार	700.00
5	रूद्रप्रयाग	400.00
6	चमोली	900.00
7	अल्मोड़ा	1100.00
8	बागेश्वर	400.00
9	चम्पावत	400.00
10	ऊधमसिंहनगर	700.00
11	टिहरी गढ़वाल	900.00
12	उत्तरकाशी	600.00
13	पौड़ी गढ़वाल	1500.00
	कुल योग	9900.00

(रू0 निन्यानबें करोड़ मात्र)

(डा0 राकेश कुमार)
सचिव